कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक / स्थापना / 2021 / 8607 उज्जैन, दिनाँक 19/07/21

–आदेश–

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली 8 मार्च 2019 के परिपालन में बैचमार्क दिव्यांगजनों की संख्या के आधार पर जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन किया जाता है। स्थायी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र रखनें वाले केवल बैचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति उच्च सहायता की आवश्यकता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

क.	अधिकारी	अध्यक्ष / सदस्य
1	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	अध्यक्ष
2	श्री सी.एल. पंथारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
3	डॉ.अजय निगम, चिकित्सा विशेषज्ञ	सदस्य
4	डॉ.महेश मरमट, हड्डी रोग विशेषज्ञ	सदस्य
5	डॉ.अंशु वर्मा, कान–नाक–गला विशेषज्ञ	सदस्य
6	डॉ.नीलेश चन्देल, नेत्र विशेषज्ञ	सदस्य
7	डॉ.विनीत अग्रवाल, मनोरोग विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सक (यदि प्रार्थी 18 वर्ष का है अथवा उससे ज्यादा है) अथवा बाल चिकित्सक (यदि प्रार्थी 18 वर्ष से कम है), मनोचिकित्सक	सदस्य
8	श्रीमती निधी तिवारी / अनुप्रिया हाड़ा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अथवा वाक् थेरेपिस्ट अथवा नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा फिजियोथेरेपिस्ट	सदस्य
9	अन्य कोई विशेषज्ञ –	सदस्य

उप–नियम (1) में अंकित अधिसूचित प्राधिकारी मूल्यांकन हेतु प्रत्येक मामला उसका / उसकी उच्च सहायता आवश्यकता के लिए निर्धारण बोर्ड को भेजेगा।

निर्धारण बोर्ड उच्च सहायता आवश्यकता वाले प्रार्थी को मूल्यांकन के लिए आमंत्रित करेगा और यदि आवश्यक हो, तो नैदानिक विर्धारण कर सकता है।

निर्धारण बोर्ड छह मापदंडो के आधार पर प्रार्थी का मूल्यांकन करेगा और निम्नांकित 100 बिन्दु ग्रेडिड अधिभार के आधार पर अंको का निर्धारण करेंगा:–

मापदंड		अधिभार
(क) शारीरिक दिव्यांगता की गंभीरता (अधिकतम अधिभार – 25)	(क) 40% - 59% (ख) 60% - 79% (ग) 80% - 100%	15 20 25
(ख) मानसिक / विकासात्मक दिव्यांगता की गंभीरता (जो किसी सूचित निर्णय के लिए व्यक्ति को प्रतिबंधित करती है) (अधिकतम अधिभार – 25)	(क) 40% - 59% (ख) 60% - 79% (ग) 80% - 100%	15 20 25
(ग) व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों में किस हद तक बाधा आती है (अधिकतम अधिभार – 35)	(1) स्नान, मंजन, कंघी करना, कपड़े पहनना। (2) शौचालय स्वच्छता (शौचालय जाना, स्वयं हाथ धोना, बैकअप आदि प्राप्त करना) (3) कार्यात्मक गतिशीलता (कार्य करने की क्षमता, बिस्तर पर लेटना और उठना, कुर्सी पर बैठना और उठना, कियाकलापों के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना)। (4) अपने हाथ से भोजन करना (खाना बनाना शमिल नहीं है)	10 10 10 05

निरन्तर ....

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला उज्जैन

(घ) संज्ञानात्मक क्षमताऐं जैसे यातायात, संभार, गैजेटस के इस्तेमाल में सुरक्षा उपाय सम्मंदित सावधानी बरतना, गुम न होने की क्षमता।	–	05
(ड) वातावरण बाधाएं जैसे स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र अथवा पुनर्वास सहायता प्रणाली अथवा स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति तक पहुंच।	–	05
(च) सामाजिक–आर्थिक स्थिति (अधिकतम अधिभार–5)	गरीबी रेखा के उपर गरीबी रेखा के नीचे	0 05
योग		100

निर्धारण बोर्ड उप–नियम (6) में अंकित 100 अंको में से 60 अंक पाने वाले किसी भी बैंचमार्क दिव्यांगजन को अधिक सहायता आवश्यकता के लिए सिफारिश कर सकता है।

निर्धारण बोर्ड अधिसूचित प्राधिकारी को मूल्यांकन के लिए कथित प्राधिकारी से प्राप्त अनुरोध की तारीख से 90 दिनों की अवधि में अपनी सिफारिश जमा करेंगा।

उप–नियम (1) में अंकित किए अनुसार अधिसूचित प्राधिकारी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य प्रशासन की योजनाओं / कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, जो भी मामला हो, निर्धारण की सिफारिशों के आधार पर आवेदनों पर उच्च सहायता की आवश्यकता के लिए विचार करेंगे।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नः– भारत राजपत्र सामाजिक न्याया और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अधिसूचना)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला उज्जैन म.प्र.
उज्जैन, दिनॉक 19/07/21

पृ.क. / स्थापना / 2021 / 8608
प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला उज्जैन।
2. संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय विभाग, जिला उज्जैन।
3. आयुक्त नगर पालिक निगम, उज्जैन।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला उज्जैन।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उज्जैन।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज़नपद पंचायत, बड़नगर, घट्टिया, महिदपुर, तराना, नागदा, खाचरौद, जिला उज्जैन।
8. सी.एम.ओ., नगर पालिका, बडनगर, घट्टिया, महिदपुर, तराना, नागदा, खाचरौद, जिला उज्जैन।
9. प्रशासनिक अधिकारी, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, जिला उज्जैन।
10. खण्ड चिकित्साधिकारी, विकासखण्ड ताजपुर, माकड़ोन, उन्हेल, घट्टिया, भाटपचलाना, झारड़ा, जिला उज्जैन।
11. जिला स्तर निर्धारण बोर्ड, जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
12. सर्व संबंधित .... की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ।
13. आदेश नस्ती।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला उज्जैन म.प्र.